08.5.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान -
न्याय आपके द्वार 2018 में अटल
सेवा केन्द्र छोहू में पेश हुई। पक्षकारान
को जारी लोक अदालत नोटिस बाद
तामील प्राप्त हुए है। उत्तरदाता नं. 03
(देदाराम) उपस्थित। एवं उत्तरदाता नं० 7 भी
उपस्थित। शेष पक्षकारान पाबन्द रहने
के अनुपस्थित है। एवं पत्रावली में उत्तरदातागण
के विरुद्ध जारी नोटिस पूर्व में भी
तामील हो चुके थे। उत्तरदाता नं० 2 की
तरफ से इकबाली जवाब पेश किया गया।
जो शामिल मिसल है। इस्तगासा प्रकरण
में तनकी की पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है।
और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर
किया जा रहा है। उत्तरदाता नं. 3 व 7 को
सुना गया। दौराने बहस उत्तरदाता नं. 3 ने
निवेदन किया कि मुतवफी तीकाजी के
चार पुत्र क्रमशः उत्तरदाता नं. 2 से 4 व उत्तरदाता
नं. 5 व 6 के पिता - पति कुम्भाराम व अमीलाट
थे। ग्राम पंचायत द्वारा जोतगी नामान्तरकरण नं. 19

देदाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पारित करते हुए तहत अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर उत्तरदाता सं. 2 से 4 व कुंजराम का नाम दर्ज किया गया। जो विवादित भूमि में अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे। उत्तरदाता सं. 7 ने भी मुतवफी शिवजी के वारिसान में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने में अनापत्ति जाहिर की गई। हमने उभयपक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। एवं मजमे आम में भी पूछताछ की गई। जिसमें सामने आया कि मुतवफी शिवजी के वारिसान में अपीलांट एवं उत्तरदाता सं. 2 से 4 व उत्तरदाता सं. 5 व 6 के पिता-पति कुंजराम थे। शिवजी के फौत होने पर भरे गये नामांतकरण सं. 19 में अपीलांट का नाम दर्ज भूलवश नहीं किया गया। इस प्रकार शिवजी के वारिसान में अपीलांट का भी नाम दर्ज होना चाहिए। उत्तरदाता सं. 3 जो शिवजी का पुत्र है ने भी स्वीकार किया है कि अपीलांट उसकी माता है। जिसका नाम विवादित भूमि में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। यह तथ्य उत्तरदाता सं. 7 ने भी स्वीकार किये हैं। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है तो भी समग्र शिवजी के वारिसान की जांच एवं मौका स्थिति का आकलन हेतु प्रकरण TDR तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए आंशिक रूप से अन्डर रिमाण्ड स्वीकार की जाकर प्रकरण पंजीयन हेतु के नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी

गंगादेवी V/S ग्रा.प. होडू आदि सरपंच वगैरा।

संख्या 19 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत होडू के आदेश दिनांक 16.12.1984 को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि मृतक शिवजी के खाता वारिसान की विधि सम्मत जांच करते हुए अपीलार्थीया श्रीमती का नामान्तरकरण विधिनुसार एवं अपने स्वविवेक एवं अपनी जांच रिपोर्ट अनुसार उनके हक में नियमानुसार पारित करें।

आदेश आज दिनांक 08.5.18 को मजलिस आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner